अभिशासक साक्षीगण द्वारा वाद्यस्थ के दौरान कार्य में 3 से संलग्न सुरक्षा-ईमेज पेश की, शामिल किया गया अतः पंजावली वास्ते आदेश आगामी दि. 25.06.2025 को नियत की जाती है।

25/06/25 पंजावली पेश हुई। उभयपक्ष उप० पंजावली का अवलोकन किया गया। पंजावली में उपलब्ध रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत में उभय वादग्रस्त भूमि पर प्रथम दृष्टया मामला साक्षीगण के पक्ष में सिद्ध होता है, उसकी अनुसार सुविधा का संतुलन है, तथा अपूरणीय क्षति का प्रश्न है तो वादग्रस्त भूमि का निस्तारण किए जाने की स्थिति तक TI की अवधि आगे नहीं बढ़ाए जाने की स्थिति में साक्षीगण के हक प्रभावित होंगे व बहुविवाद की स्थिति उत्पन्न होगी जो न्यायसंगत नहीं है। अतः साक्षीगण का साक्षीगण 212 CPC स्वीकार किया जाता है, उभय वादग्रस्त भूमि पर जारी TI आदेश दिनांक वादग्रस्त के निस्तारण तक यथावत रखा जाता है विस्तृत निर्णय पक्षकार से लिखायापा जाकर शामिल किया गया। पंजावली फैसल सुनाए जाने बाद तस्कील-तस्दीक पार्थिक दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।